कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / म.गां.अनु. / प्रभाग–अ / जोध. / या.सं. 16367–2021 / 2022 / 83 दिनांकः 24.11.2022

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
जोधपुर सम्भाग, जोधपुर।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जोधपुर।

विषय :– श्री हरिसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीलवा, जोधपुर को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये जाने संबंधी न्यायिकवाद के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– राज्य सरकार का पत्रांकः प.4(15)शिक्षा–1 / 2021 पार्ट जयपुर, दिनांकः 21.11.2022

शासन द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 19 / 2022 राज्य सरकार बनाम स्कूल डवलपमेंट कमेटी श्री हरिसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीलवा, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांकः 27.07.2022 की पालना में, आदेश क्रमांकः प.04(15)शिक्षा–1 / 2021 पार्ट जयपुर, दिनांकः 13.09.2021 द्वारा श्री हरिसिंह राउमावि पीलवा, जोधपुर को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरण किये जाने की जारी स्वीकृति की हद तक प्रत्याहरित करते हुए श्री हरिसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीलवा, जोधपुर को हिन्दी माध्यम में संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के आदेश पत्रांकः शिविरा–मा / माध्य / महा.गां.प्र. / अंग्रेजी माध्यम / ब.घो. / 2021–22 / दिनांकः 20.09.2021 के द्वारा श्री हरिसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा, ब्लॉक देचू, जिला जोधपुर (8151203005) को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरण किये जाने की प्रदत्त स्वीकृति को प्रत्याहरित करते हुए, श्री हरिसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीलवा, जोधपुर को हिन्दी माध्यम विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (विधि), जोधपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उक्तानसुार विद्यालय को अद्यतन करवाने की यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करावें।
10. सहायक निदेशक, माध्यमिक / योजना / बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर